Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 9 | SEPTEMBER 2023

वेतनभोगी करदाता के संदर्भ में परम्परागत एवं नयी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. विनेश जैन [1]

[1] सहा. आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ (राजस्थान)

ABSTRACT:

निम्न से मध्यम आय स्तर वाले वेतनभोगी सामान्य करदाता द्वारा नयी कर व्यवस्था अपनाने पर कर दायित्व में कोई कमी नहीं आएगी। यद्यपि शारीरिक असमर्थ करदाता का कर दायित्व नयी कर व्यवस्था में परम्परागत कर व्यवस्था की तुलना में बढ़ भी सकता है। इसके विपरित उच्च आय वाले करदाता के मामले में कर दायित्व में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है। इस प्रकार नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था औपचारिकताओं में कमी करने में सहायता प्रदान करती है जबकि परम्परागत कर व्यवस्था निम्न व मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक हो सकती है क्यों कि एक तरफ तो यह उनके कर दायित्व को न्यूनतम करती है एवं दूसरी तरफ बचतों के लिए प्रोत्साहित करती है।

KEYWORDS:

आयकर, कर की दर, वैकल्पिक कर व्यवस्था, कर स्लैब, बचत, विनियोग।

भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 से व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार आयकरदाताओं हेतु एक वैकल्पिक कर व्यवस्था लायी गयी है। जिसके अन्तर्गत पूर्व में लागु आयकर की दरों को कम करते हुए कर स्लैब में आवश्यक बदलाव किए गये हैं। इस नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में करदाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि वह आयकर कानून द्वारा वर्तमान में लागु व्यवस्था द्वारा प्रदत कुछ कटौतियों, कर मुक्तियों तथा छूटों का त्याग करके नयी एवं तुलनात्मक रूप से कम दरों से आयकर का भुगतान कर सकते हैं। इस हेतु वित्त अधिनियम 2020 द्वारा आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। इस नयी कर व्यवस्था एवं परम्परागत कर व्यवस्था में मौलिक अन्तर यह है कि जहां परम्परागत कर व्यवस्था में बचत व विशिष्ट विनियोगों द्वारा कर नियोजन को अपनाकर करदाता अपने आयकर दायित्व को कम करता है वहीं नयी कर व्यवस्था के अन्तर्गत करदाता द्वारा किये गये बचत व विनियोग उसके कर दायित्व के निर्धारण में विशेष महत्व नहीं रखते हैं। बल्कि इस नयी व्यवस्था में कर की दरों व स्लैब की संरचना इस प्रकार से निर्धारित की गयी है कि करदाता का कर दायित्व पूर्व में लागु व्यवस्था से कम भी हो सकता है। चूंकि नयी व्यवस्था वैकल्पिक है इसलिए करदाता के स्वयं के हित में होने पर ही उसे इसका उपयोग करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इस व्यवस्था में वेतनभोगी करदाता के लिये यह भी प्रावधान किया गया है कि वह आगामी निर्धारण वर्षो में अपने विकल्प में परिवर्तन भी कर सकता है बशर्ते ऐसे करदाता की व्यापार एवं पेशे से कोई आय न हो। इस प्रकार जहां परम्परागत कर व्यवस्था में करदाता को कर नियोजन का प्रोत्साहन देकर उसे बचत करने एवं सरकार द्वारा चाहे गये क्षेत्रों में इन बचतों का विनियोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जबकि नयी कर व्यवस्था में बचत व विनियोग का निर्णय करदाता के कर दायित्व को प्रभावित नही करता। जिससे करदाता वर्तमान उपभोग एवं बचत का निर्धारण बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के स्वयं की इच्छा से करने को स्वतंत्रता का अनुभव करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

(अ) वेतनभोगी करदाताओं के कर दायित्व पर नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था के संभावित प्रभावों का पता लगाना।

(ब) वेतनभोगी करदाता के लिये परम्परागत एवं नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में चयन हेतु आधार खोजना।

(स) उपभोग, बचत एवं विनियोग पर नयी व्यवस्था के संभावित प्रभावों का पता लगाना।

परम्परागत या पूर्व में लागु आयकर व्यवस्था

इस कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी करदाता करयोग्य आय की गणना करने हेतु उसे मकान किराया भत्ता एवं कुछ अन्य भत्तों की आयकर नियमानुसार कर मुक्ति, अवकाश यात्रा सहायता, प्रमाप कटौती, स्वयं के रहने के मकान के संबंध में कटौती तथा विभिन्न निर्दिष्ट क्षेत्रों में विनियोग करने पर कटौतियां स्वीकृत की जाती हैं। इन कटौतियों के पश्चात गणना की गयी कुल आय पर आयकर की गणना की जाती है। इस व्यवस्था में करदाताओं को तीन श्रेणियों में रखा गया है।

(अ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि करदाता जिसकी गत वर्ष में किसी भी समय में आयु 60 वर्ष या अधिक रही हो परन्तु 80 वर्ष से कम रही हो:

कुल आय	कर की दर
रू. 3,00,000 तक	शून्य
रू. 3,00,001 से 5,00,000 तक	5%
रू. 5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
रू.10,00,000 से अधिक आय पर	30%

(ब) भारत में निवासी करदाता जिसकी आयु गत वर्ष में किसी भी समय **80** वर्ष रही हो:

कुल आय	कर की दर
रू. 5,00,000 तक	शून्य
रू. 5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
रू.10,00,000 से अधिक आय पर	30%

(स) उपर्युक्त को छोड़कर अन्य व्यष्टी करदाता:

कुल आय	कर की दर
रू. 2,50,000 तक	शून्य
रू. 2,50,001 से 5,00,000 तक	5%
रू. 5,00,001 से 10,00,000 तक	20%
रू.10,00,000 से अधिक आय पर	30%

उपर्युक्त दरों से कर की गणना के पश्चात आयकर की राशी पर निर्धारित दरों से अधिभार लगाया जाता है तथा अधिभार सहित आयकर की राशि पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है। आयकर कर अधिभार एवं उपकर के प्रावधान नयी एवं पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं मे समान है।

नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था

कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार आयकरदाताओं हेतु एक

वैकल्पिक कर व्यवस्था लायी गयी है। जिसके अन्तर्गत पूर्व में लागु आयकर की दरों को कम करते हुए कर स्लैब में आवश्यक बदलाव किए गये हैं। इस नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में करदाताओं को यह विकल्प दिया गया है कि वह आयकर अधिनियम द्वारा वर्तमान में लागु व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदत कुछ कटौतियों, कर मुक्तियों तथा छूटों का त्याग करके नयी एवं तुलनात्मक रूप से कम दरों से आयकर का भुगतान कर सकते हैं। इस हेतु वित्त अधिनियम 2020 द्वारा आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में कर की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं।

क्रमांक	कुल आय	कर की दर %
1	रू. 2,50,000 तक	शून्य
2	रू. 2,50,001 से 5,00,000 तक	5
3	रू. 5,00,001 से 7,50,000 तक	10
4	रू. 7,50,001 से 10,00,000 तक	15
5	रू. 10,00,001 से 12,50,000 तक	20
6	रू. 12,50,001 से 15,00,000 तक	25
7	रू. 15,00,000 से ज्यादा	30

वेतनभोगी करदाता द्वारा नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था अपनाएं जाने का विकल्प चुनने पर उसे माणक कटौती, अवकाश यात्रा रियायत, मकान किराया भत्ता की कर मुक्ति, स्वयं के रहने के मकान के संबंध में कटौती, सकल कुल आय से मिलने वाली कटौतियों (पेंशन फंड में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर) का लाभ नहीं दिया जावेगा। इन प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान परम्परागत कर व्यवस्था के समान हैं।

परम्परागत एवं नयी कर व्यवस्था में मौलिक भिन्नताएं एवं वेतनभोगी करदाता पर प्रभाव

नयी कर व्यवस्था एवं परम्परागत कर व्यवस्था में मौलिक अन्तर यह है कि परम्परागत कर व्यवस्था में तो बचत व विशिष्ट विनियोगों द्वारा कर नियोजन को अपनाकर करदाता अपने आयकर दायित्व को कम करता है जबकि नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था के अन्तर्गत करदाता द्वारा किये गये बचत व विनियोग उसके कर दायित्व के निर्धारण में विशेष महत्व नहीं रखते हैं। इस नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में कर की दरों व स्लैब की संरचना इस प्रकार से निर्धारित की गयी है कि करदाता का कर दायित्व पूर्व में लागु कर व्यवस्था की तुलना में इस नयी व्यवस्था में तुलनात्मक रूप से कम भी हो सकता है। चूंकि नयी व्यवस्था वैकल्पिक है इसलिए करदाता के स्वयं के हित में होने पर ही उसे इसका उपयोग करने का विकल्प प्रदान किया गया है। परम्परागत कर व्यवस्था में वेतनभोगी करदाता को विभिन्न आयकर नियमों के अन्तर्गत कई प्रकार की कर मुक्तियां एवं कटौतियां निश्चित शर्तों पर ही प्रदान की जाती हैं। जैसे मकान किराए भत्ते की कुल प्राप्त राशि में से कोई करमुक्ति तभी मिल सकती है जब कर्मचारी संबंधित अवधि में किराए के मकान में रहा हो। इसी प्रकार अन्य भत्तों में निश्चित शर्तों की पूर्ति होने पर ही करमुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार अवकाश यात्रा सहायता (LTC) राशि में से नियमानुसार ज्ञात राशि ही करमुक्त होती है। वेतन से आय की गणना में पूर्वोक्त करमुक्तियां जो परम्परागत कर व्यवस्था में उपलब्ध हैं उनके लिए करदाता द्वारा निश्चित शर्तों की पालना आवश्यक होती है। चूंकि नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में इस प्रकार की करमुक्ति न मिलने के कारण करदाता इन कथित शर्तों की पूर्ति से स्वतंत्र रहता है जबकि उसे इन करमुक्तियां के न मिलने से से होने वाली हानि की भरपाई नयी कर व्यवस्था की अपेक्षाकृत नीची कर की दरों के कारण हो जाती है। इस प्रकार बिना विभिन्न औपचारिकताओं के करदाता का कर दायित्व पूर्ववत या उससे कम भी हो सकता है। आयकर अधिनियम के अध्याय छः के अन्तर्गत व्यष्टि करदाता को विशिष्ट प्रकार की आयों व विनियोगों के संबंध में कटौतियां प्रदान करके करदाता को अपना कर दायित्व न्यूनतम करने का अवसर दिया जाता है। जैसे जीवन बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, असमर्थ आश्रित की चिकित्सा पर व्यय, उच्च शिक्षा ऋण का ब्याज, पुस्तकों की रियल्टी से आय आदि इस प्रकार की कटौतियां जोकि परम्परागत कर व्यवस्था में उपलब्ध हैं वे अब नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था में समाप्त कर दी गयी हैं। इनको देखते हुए करदाता के कर दायित्व पर नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था अपनाएं का क्या प्रभाव होगा। यह करदाता के आय के स्तर एवं उसकी कटौतियों का लाभ उठाने व्यक्तिगत पात्रता पर ही निर्भर करेगा। सामान्य विश्लेशन के आधार पर कह सकते हैं कि निम्न से मध्यम आय स्तर वाले वेतनभोगी सामान्य करदाता द्वारा नयी कर व्यवस्था अपनाने पर कर दायित्व में कोई कमी नहीं आएगी। जबकि असमर्थ करदाता का कर दायित्व परम्परागत कर व्यवस्था की तुलना में बढ़ भी सकता है। इसके विपरित उच्च आय वाले करदाता के मामले में करदाता के कर दायित्व में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है। इस प्रकार नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था औपचारिकताओं में कमी करने में सहायता प्रदान करती है जबकि परम्परागत कर व्यवस्था निम्न व मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक हो सकती है क्यों कि एक तरफ तो यह उनके कर दायित्व को न्यूनतम करती है दूसरी तरफ बचतों के लिए प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष

परम्परागत कर व्यवस्था एवं नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था का अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि करदाता एवं सरकार के दृष्टिकोण से दोनों ही कर व्यवस्थाओं के अपने-अपने गुण व कमियां हैं। परम्परागत कर व्यवस्था जहां करदाता के कर दायित्व को न्यूनतम करते हुए उसे निर्दिष्ट क्षेत्रों विनियोग हेतु प्रेरित कर बचतों को बढ़ाकर राष्ट्र के विकास रहें योगदान देती है वहीं नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था औपचारिकताओं को कम करके कर प्राधिकारियों एवं करदाता के कार्यालय कार्य को न्यूनतम करती है। निम्न आय वर्ग के लिए परम्परागत कर व्यवस्था एवं उच्च आय वर्ग के लिए नयी वैकल्पिक कर व्यवस्था लाभदायक प्रतीत होती है।

सुझाव

सरकार को नयी कर व्यवस्था को लंबे समय तक वैकल्पिक ही रखना चाहिए इसे अनिवार्य करने पर निम्न एवं मध्यम वेतनभोगी वर्ग की बचतों एवं विनियोगों में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है जिसका प्रभाव देने के आय व रोजगार स्तर पर नकारात्मक भी हो सकता है।

REFERENCES

1. पटेल, चौधरी (2022) आयकर विधान एवं देखें
2. वित्त अधिनियम 2020 भारत सरकार
3. कैग रिपोर्ट 2021
4. पटेल, चौधरी (2018) आयकर नियोजन